एम. एम. कुमार, जे. गुरदेव सिंह, जे. गजिंदर त्रेहान के समक्ष-याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

2010 का सी. डब्ल्यू. पी. No.12435

25 अगस्त, 2011

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14,16-हरियाणा संबद्ध कॉलेज (पेंशन और अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1999-आर. एल. 6-याचिकाकर्ता ने 1968 से 1981 तक हरियाणा राज्य के बाहर लुधियाना के एक निजी कॉलेज में व्याख्याता के रूप में काम किया-1981 में हरियाणा के एक निजी कॉलेज में उचित माध्यम से शामिल हुए-2007 में सेवानिवृत्त हुए-लुधियाना में प्रदान की गई सेवा को 1998 के सी. डब्ल्यू. पी. No.18159 में पारित आदेश के अनुसार चयन ग्रेड और संशोधित चयन ग्रेड के अनुदान के द्वारा गिना गया-याचिकाकर्ता की पेंशन हरियाणा के बाहर 1968 से 1981 तक उसकी सेवा की गणना किए बिना निर्धारित की गई-याचिकाकर्ता ने पहले 1999 के नियमों-नियम 6 (वी) द्वारा शासित होने का विकल्प प्रस्तुत किया था।

क्या नियम 6 (iv) और (v) की शर्तें कि केवल हरियाणा राज्य में एक सहायता प्राप्त कॉलेज में और वह भी उसी प्रबंधन के तहत प्रदान की जाने वाली सेवा को पेंशन के रूप में गिना जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है-नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करते हैं-याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त उद्धृत नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि नियम ने एक ही प्रबंधन के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले एक या अधिक संबद्ध कॉलेजों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गिनती को प्रतिबंधित कर दिया है और यह हरियाणा राज्य के किसी भी सहायता प्राप्त कॉलेज में सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर प्रदान की जाने वाली सेवा होनी चाहिए। 1999 के नियमों के नियम 6 के खंड (v) के साथ संलग्न परंतुक के अनुसार, अधिकारी को सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर उचित द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए और सेवा की निरंतरता की मंजूरी उच्च शिक्षा निदेशक से प्राप्त की जानी चाहिए। असंख्या द्वितीय परंतुक के अनुसार, पिछले कॉलेज में ऐसे कर्मचारी का सी. पी. एफ. खाता उस बाद के कॉलेज में जारी रखा जाना चाहिए जिसमें उसे या तो नियुक्त किया गया है या स्थानांतरित किया गया है। याचिकाकर्ता 31.10.2007 पर सेवानिवृत्त हो गया है और 24.01.2001 पर नियमों में किया गया संशोधन लागू होगा। तदनुसार, हरियाणा राज्य के बाहर किसी सहायता प्राप्त पद पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा नियम 6 (v) के अनुसार पेंशन के लिए योग्य नहीं होगी।

(पैरा 9)

आगे कहा कि यह रिकॉर्ड में आया है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1982 में अपने पिछले नियोक्ता से अपना सी. पी. एफ. प्राप्त किया था। यह अच्छी तरह से तय है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को सी. पी. एफ. का भुगतान प्राप्त हो जाता है, तो किसी भी वैधानिक नियमों की अनुपस्थिति में में, उसे अधिकार के मामले में पेंशन योजना में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 10)

आगे कहा कि एक बार जब उपरोक्त संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव को प्रतिग्रहण करना करना कि वह नियोक्ता के योगदान की सीमा तक अपने द्वारा प्राप्त सी. पी. एफ. की राशि को वापस कर सकती है, किसी भी वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में में कानून की नजर में पूरी तरह से अनुचित और अस्थिर होगा।

(पैरा 13)

आगे कहा कि मामले का एक और पहलू है, जो किसी भी मामले में याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराएगा। मान लीजिए, याचिकाकर्ता ने पंजाब राज्य के लुधियाना में कॉलेज में एक सहायता प्राप्त पद पर 10.07.1968 से 28.07.1981 तक सेवा प्रदान की है। कैरियर उन्नति योजना के प्रयोजनों के लिए, उन्हें पिछली सेवा का लाभ दिया गया है और

भुगतान वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड उन्हें दिया गया है।।तदनुसार, उन्हें पहले से ही पिछली सेवा का लाभ दिया जा चुका है और उस सेवा को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन में वृद्धि की गई है।एक बार जब ऐसा हो जाता है, तो उसे एक ठोस राहत दी जाती है।

(पैरा 14)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार ने कहा,

अमन चौधरी, एडिशनल।प्रतिवादी संख्या 1

और 3 के लिए ए. जी. हरियाणा

सुवीर सहगल, एडिशनल।ए. जी., पंजाब प्रतिवादी संख्या 2 के लिए

एम. एम. कुमार जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर तत्काल याचिका में हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (पेंशन और अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1999 के नियम 6 (संक्षिप्तता के लिए '1999 नियम') (संशोधित के रूप में) को घोषित करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि यह पेंशन के लिए अन्य राज्य से संबंधित अन्य संबद्ध कॉलेजों में दी गई पिछली सेवा की गिनती से पूरी तरह से अवैध, गैरकानूनी, मनमाना और असंवैधानिक के रूप में वंचित करता है।उपरोक्त घोषणा के परिणामस्वरूप, आदेश 02.012 को रद्द करने के लिए एक और प्रार्थना भी की गई है।2008 (पी-8) याचिकाकर्ता द्वारा एस. डी. पी. कॉलेज, लुधियाना में व्याख्याता के रूप में दी गई अपनी पिछली सेवा की गिनती के लिए किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को एस. डी. पी. महिला महाविद्यालय, लुधियाना में 25.06.1968 (पी-1 और पी-2) पर इतिहास में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1981 तक वहाँ काम किया।एस. डी. पी. महिला महाविद्यालय, लुधियाना को पंजाब सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है और याचिकाकर्ता जब लुधियाना (पी-4) में सेवारत थी, तब वह अंशदायी भविष्य निधि (संक्षिप्त 'सी. पी. एफ.' के लिए) की सदस्य थी।उन्हें वर्ष 1982 में सी. पी. एफ. का भुगतान किया गया था।उन्होंने सी. पी. एफ. के नियोक्ता के हिस्से की राशि को ब्याज के साथ वापस करने की पेशकश की है जो '5592.38' पर आता है, जिसकी गणना उन्होंने अपने पहले के नियोक्ता एस. डी. पी. कॉलेज फॉर वुमन, लुधियाना (पी-9) से की है।

(3) 28.07.1981 पर, उन्होंने उचित चैनल द्वारा से के. एल. मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद में व्याख्याता के पद के लिए आवेदन किया।उन्हें 29.07.1981 पर चुना गया और नियुक्त किया गया और वे अपनी ड्यूटी में

जुलाई, 1981 में फरीदाबाद शामिल हो गईं। ।हरियाणा सरकार ने संबद्ध कॉलेजों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की और 31.05.1999 पर 1999 के नियमों को अधिसूचित किया।1999 के नियमों के नियम 6 (iv) के अनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक कर्मचारी की सेवा सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए है, भले ही वह एक या अधिक निजी संबद्ध कॉलेजों में हो, जो उसी प्रबंधन के तहत अनुदान-सहायता प्राप्त कर रहे हों, लेकिन अन्य कॉलेजों में दी गई सेवा को पेंशन के लिए नहीं गिना जाएगा।24.01.2001 पर नियमों में संशोधन किया गया था और यह स्पष्ट किया गया था कि केवल हरियाणा राज्य में किसी भी सहायता प्राप्त कॉलेज में सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर प्रदान की गई सेवा को ही गिना जाना था।लुधियाना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा को वरिष्ठ/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए योग्यता सेवा के रूप में नहीं गिना गया था और इस तरह उन्होंने 1998 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1859 दायर किया, जिसकी अनुमति 09.10.2001 पर दी गई थी।इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं के अन्य समूह के साथ उनकी याचिका का निपटारा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हरियाणा सरकार ने 27.11.1990 पर जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया था।तदनुसार, इसने व्याख्याता द्वारा शर्तों को पूरा करने के अधीन, कैरियर उन्नति योजना के तहत नियमों के अनुसार उनकी पिछली सेवा का निर्धारण करने के बाद वरिष्ठ/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए व्याख्याताओं को पिछली सेवा का लाभ देने की अनुमति दी है।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश इस प्रकार हैः

> “1998 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3364,3642,1859,15079,14497 और 1999 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2366 और 10701।

आदेश

N.K.SUD, जे। (ORAL)

रिट याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पढ़ा रहे हैं।वे इन रिट याचिकाओं में यह दावा करते हुए आए हैं कि विभिन्न कॉलेजों में प्रदान की गई उनकी पिछली सेवा का लाभ उन्हें सेवा की अवधि के आधार पर स्वीकार्य उच्च मानकों के लिए उनके दावे पर विचार करने की अनुमति दी जाए।यह दावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 27.11.1990 पर जारी निर्देशों पर आधारित है।रिट याचिकाओं विचाराधीनता रहने के दौरान, हरियाणा सरकार ने ज्ञापन संख्या 15/1-2000-CIV (3) दिनांक 27.02.2001 (1998 के CWP संख्या 3642 में अनुलग्नक पी/10) के माध्यम से

विश्वविद्यालय को स्वीकार कर लिया है।अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश और करियर उन्नति योजना के तहत नियमों के अनुसार अपनी पिछली सेवा की अवधि निर्धारित करने के बाद वरिष्ठ स्तर/चयन ग्रेड के अनुदान के लिए व्याख्याताओं को पिछली सेवा का लाभ देने का निर्णय लिया, बशर्ते कि संबंधित व्याख्याता द्वारा कुछ शर्तों को भी पूरा किया जाए।प्रतिवादी के लिए विद्वान परामर्शदाता-विश्वविद्यालय का कहना है कि यदि याचिकाकर्ता इस परिपत्र के आधार पर उनसे संपर्क करते हैं और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो वे ज्ञापन के अनुसार अपने दावे पर विचार करेंगे और अनुमति देंगे।

उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, इन रिट याचिकाओं का निपटारा प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय को एक निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता दिनांकित ज्ञापन के अनुसार चयन श्रेणी के उद्देश्य के लिए पिछली सेवा के लाभ का दावा करते हुए अभ्यावेदन करते हैं और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो विश्वविद्यालय एक मौखिक आदेश पारित करके ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर उनके अभ्यावेदन का निपटारा करेगा।विश्वविद्यालय तीन महीने की उपरोक्त अवधि के भीतर परिणामी वित्तीय लाभ, यदि कोई हो, भी जारी करेगा।"

(4) उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में और मामले पर विचार करने पर, याचिकाकर्ता को चयन ग्रेड के उद्देश्यों के लिए एस. डी. पी. कॉलेज, लुधियाना में दी गई अपनी पिछली सेवा को गिनने की अनुमति दी गई और उसे संशोधित चयन ग्रेड दिया गया, जो स्क्रीनिंग कमेटी, एम. डी. विश्वविद्यालय, रोहतक की दिनांक 17.06.2002 (पी-5) की बैठक के कार्यवृत्त से स्पष्ट होता है।

(5) याचिकाकर्ता 31.10.2007 पर सेवानिवृत्त हुआ और उसे 02.04.2008 (P-6) के आदेश के अनुसार पेंशन दी गई।हालाँकि, जाँच करने पर यह पाया गया कि एस. डी. पी. महिला महाविद्यालय, लुधियाना में उनके द्वारा दी गई सेवा को ध्यान में नहीं रखा गया था।तदनुसार, उन्होंने अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (पी-7) की गणना के उद्देश्यों के लिए अपनी पूरी सेवाओं को योग्यता सेवा के रूप में गिनने के लिए प्रतिवादी को एक अभ्यावेदन भेजा।हालाँकि, उनके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था और उन्हें 02.12.2008 (P-8) दिनांकित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि लुधियाना में उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा का लाभ उनके लिए नहीं दिया जा सकता है।

उनके मामले में पेंशन 1999 के नियमों के तहत शामिल नहीं थी, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है।1999 के नियमों के नियम 6 द्वारा बनाए गए प्रतिबंध से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

(6) प्रतिवादी संख्या 1 और 3 का रुख यह है कि हरियाणा राज्य में गैर-सरकारी निजी संबद्ध कॉलेजों में सहायता प्राप्त स्वीकृत पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा उन नियमों द्वारा शासित होती है जो किसी अन्य राज्य में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए लागू सेवा नियमों से अलग और अलग होते हैं।विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान सहायता की दर और अनुदान सहायता के लिए इसके नियम और शर्तें स्वतंत्र और अलग हैं।1999 के नियमों की खंड 2 (जे) के तहत परिभाषित 'योग्यता सेवा' अभिव्यक्ति का एक संदर्भ दिया गया है, जिसमें प्रावधान है कि योग्यता सेवा को उस तारीख से ध्यान में रखा जाएगा जब कोई कर्मचारी सी. पी. एफ. में योगदान करना शुरू करेगा। प्रतिवादी ने 1999 के नियमों के नियम 6 पर भी भरोसा किया है ताकि यह दावा किया जा सके कि यह किसी भी मनमानेपन से ग्रस्त नहीं है।यह अनुरोध किया गया है कि यह केवल हरियाणा राज्य के किसी भी सहायता प्राप्त कॉलेज में किसी भी सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा है, जो सेवानिवृत्ति लाभ के लिए गणना की जाएगी, न कि हरियाणा राज्य के बाहर प्रदान की गई सेवा के लिए। प्रतिवादी ने 2002 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16672 (राजेश्वर अग्रवाल बनाम हरियाणा राज्य) (ए-2) में 07.08.2008 पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा रखा है।प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने 20.01.2000 (R-1) पर 1999 के नियमों द्वारा शासित होने का अपना विकल्प प्रस्तुत किया और उसके खिलाफ रोक है।प्रारंभिक प्रस्तुतियों के पैरा 3 में किए गए कथन के अनुसार, याचिकाकर्ता को अपने स्वयं के कार्य और आचरण के कारण 1999 के नियमों के प्रावधानों को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(7) हमने कुछ समय तक पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता सुना है और उनकी समर्थ सहायता से पेपर बुक का अध्ययन किया है।इस न्यायालय के निर्धारण के लिए कानून का निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होगाः

“क्या आई. डी. 1 पर संशोधित 1999 के नियमों का नियम 6 संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत है, जहां सी. पी. एफ. से सेवानिवृत्त व्यक्ति पेंशनभोगियों की तुलना में एक अलग वर्ग का गठन करते हैं।”

विवाद की सराहना करने के लिए, पहले यह लाभदायक होगा, 1999 के नियमों के नियम 2(जे) और नियम 6 को पढ़ें, जो इस प्रकार हैं: "पेंशन नियम– 1999 की धारा 2 (जे)" योग्यता शब्द को परिभाषित करती है सेवा'' निम्नानुसार है

> "योग्यता सेवा का अर्थ है वह सेवा जो इन नियमों के तहत पेंशन के लिए योग्य है। इसकी गणना पूर्ण किए गए आधे वर्षों के संदर्भ में की जाएगी, बशर्ते कि तीन महीने और उससे अधिक के अंश को पूर्ण किए गए आधे वर्ष के रूप में माना जाएगा। हालांकि, किसी कर्मचारी द्वारा अंशदायी भविष्य निधि में योगदान शुरू करने की तारीख से योग्यता सेवा को ध्यान में रखा जाएगा।

नियम 6:- एक कर्मचारी की सेवा इन नियमों के तहत सेवानिवृत्ति लाभ के लिए योग्य होगी जो निम्नानुसार हैः

(i) अनुदान सहायता के लिए स्वीकृत पद पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रदान की गई सेवा।

((ii) साठ वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक प्रदान की गई सेवा।

(iii) हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1979 के तहत और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत स्वीकार्य छुट्टी, बिना वेतन के छुट्टी और निलंबन की अवधि को छोड़कर, छुट्टी के अधिक समय तक रहना जो बाद में नियमित नहीं किया गया और सेवा में विराम की अवधि।

((iv) एक या अधिक निजी संबद्ध कॉलेजों में प्रदान की गई सेवा, जो एक ही प्रबंधन के तहत अनुदान सहायता प्राप्त करते हैं।

(v) हरियाणा राज्य में किसी भी सहायता प्राप्त कॉलेज में सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर प्रदान की गई सेवाःबशर्ते कि अधिकारी को सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर उचित द्वारा नियुक्त किया गया हो और निदेशक से सेवा की निरंतरता की मंजूरी प्राप्त की गई हो।

बशर्ते कि पूर्ववर्ती महाविद्यालय में कर्मचारी का अंशदायी भविष्य निधि खाता बाद के उन महाविद्यालयों में जारी रहे जिनमें उसे स्थानांतरित या नियुक्त किया जाता है और सेवा में कोई विराम या सेवा की शर्त नहीं है जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।"

(9) उपरोक्त उद्धृत नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि नियम ने एक ही प्रबंधन के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले एक या अधिक संबद्ध कॉलेजों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गिनती को प्रतिबंधित कर दिया है और यह हरियाणा राज्य के किसी भी सहायता प्राप्त कॉलेज में सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर प्रदान की जाने वाली सेवा होनी चाहिए। 1999 के नियमों के नियम 6 के खंड (v) के साथ संलग्न परंतुक के अनुसार, अधिकारी को सहायता प्राप्त स्वीकृत पद पर उचित द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए और सेवा की निरंतरता की मंजूरी उच्च शिक्षा निदेशक से प्राप्त की जानी चाहिए। असंख्या द्वितीय परंतुक के अनुसार, पिछले कॉलेज में ऐसे कर्मचारी का सी. पी. एफ. खाता उस बाद के कॉलेज में जारी रखा जाना चाहिए जिसमें उसे या तो नियुक्त किया गया है या स्थानांतरित किया गया है। याचिकाकर्ता 31.10.2007 पर सेवानिवृत्त हो गया है और 24.01.2001 पर नियमों में किया गया संशोधन लागू होगा। तदनुसार, हरियाणा राज्य के बाहर किसी सहायता प्राप्त पद पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा नियम 6 (v) के अनुसार पेंशन के लिए योग्य नहीं होगी। (10) यह रिकॉर्ड में आया है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1982 में अपने पिछले नियोक्ता से अपना सी. पी. एफ. प्राप्त किया था। यह अच्छी तरह से तय है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को सी. पी. एफ. का भुगतान प्राप्त हो जाता है, तो किसी भी वैधानिक नियमों की अनुपस्थिति में में, उसे अधिकार के मामले में पेंशन योजना में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रश्न का निर्णय कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ (1) मामले में पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणा में किया गया है। उस मामले में, रेलवे अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा कवर किए गए सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों ने विकल्प के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि को चुनौती देकर पेंशन योजना में बदलने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निर्णय के पैरा 34 में तर्क को दरकिनार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> “34. याचिकाकर्ताओं का अगला तर्क यह है कि पी. एफ. कर्मचारियों को एक निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि से पेंशन योजना में बदलने का विकल्प दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि नकारा में अधिसूचना को उसी कारण से पढ़ा गया था। हमने 12 वें विकल्प अक्षर को निकाला है। यह तर्क इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गलत है कि पेंशन सेवानिवृत्त जो जीवित हैं, उनके मामले में सरकार के पास है

(1) (1990) 4 एससीसी 207 751

निरंतर दायित्व और यदि कोई महँगाई से प्रभावित होता है तो अन्य भी इसी तरह प्रभावित हो सकते हैं।पी. एफ. सेवानिवृत्त होने के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार अंततः सेवानिवृत्ति और पी. एफ. लाभों की प्राप्ति की तारीख को स्पष्ट हो जाते हैं और उसके बाद कोई निरंतर दायित्व नहीं होने के कारण उन्हें जीवित पेंशनभोगियों के बराबर नहीं माना जा सकता है।पी. एफ. सेवानिवृत्त व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद कोष कैसे प्रभावित हुआ या कीमतों और ब्याज वृद्धि से लाभान्वित हुआ, इस पर रेलवे ने कोई ध्यान नहीं दिया।ऐसा प्रतीत होता है कि विकल्प के प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट तिथि विकल्प देकर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ एक निश्चित संबंध रखती है।एक बार प्रयोग किए जाने के बाद विकल्प को अंतिम बताया गया था।विकल्प इसके विपरीत प्रयोग करने योग्य थे। श्री कपिल सिब्बल द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि विकल्प देने के कारण के संबंध में निर्दिष्ट तिथि निर्धारित की गई है और केवल उन कर्मचारियों को पात्र बनाया गया है जो निर्दिष्ट तिथि के बाद और अधिसूचना की तारीख से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए थे।ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रस्तुति की पुष्टि क्रमिक वेतन आयोगों द्वारा की गई है।यह भी प्रतीत होता है कि भविष्य निधि धारकों को भी संगत लाभ दिए गए थे।इसलिए कोई भेदभाव नहीं था और 12 वें विकल्प के खंड 3.1 को निरस्त करने या पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता।"

(11) पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी आग्रह किया कि वित्तीय निहितार्थ के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई भी आदेश या निर्देश पारित करने के लिए अनिच्छुक होगा और निर्णय के पैरा 45 के तहत पालन करने के लिए आगे बढ़ा जो निम्नानुसार हैः

"45. हम इनमें से किसी भी निवेदन को प्रतिग्रहण करना करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।पी. एफ. सेवानिवृत्त और पेंशन सेवानिवृत्त व्यक्ति जो किसी वर्ग से संबंधित नहीं हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है।वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित व्यय के मामले में, इस न्यायालय को संविधान के तहत सरकार के तीन सह-समान अंगों के बीच कार्यों के विभाजन के कारण कोई भी निर्देश देने के लिए कोई आदेश पारित करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए।"

(12) माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का विचार है कि पेंशन योजना और भविष्य निधि योजना संरचनात्मक रूप से अलग हैं जैसा कि पैरा 38 और 39 के पढ़ने से स्पष्ट होता है जो निम्नानुसार हैः

"38. यह भी कि पेंशन योजना और पी. एफ. योजना संरचनात्मक रूप से अलग हैं, केंद्रीय वेतन आयोगों का विचार है और इसलिए अनुग्रह लाभ की सिफारिश की गई है, जिसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है।

39. तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग 1973 की रिपोर्ट में, (खंड। 4 पृष्ठ 49 पर) राज्य रेलवे भविष्य निधि से संबंधित यह कहा गया थाः

"49. राज्य रेलवे भविष्य निधि योजना द्वारा शासित 15 वर्ष से कम की सेवा वाले राजपत्रित और गैर-राजपत्रित दोनों रेलवे कर्मचारियों को वर्तमान में सेवा की प्रत्येक पूरी की गई 6 मासिक अवधि के लिए महीने के वेतन के 1/4th की दर से विशेष योगदान की अनुमति है, लेकिन 15 महीने के वेतन या Rs.35,000, जो भी कम हो, से अधिक नहीं।रेलवे बोर्ड द्वारा हमें सूचित किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकारी योगदान और भविष्य निधि 384 में विशेष योगदान एक साथ सेवानिवृत्ति लाभ का गठन करते हैं जो अन्य नागरिक विभागों में पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के रूप में दिए जाते हैं।तदनुसार, जब 1956 और 1957 में अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों में सुधार किया गया था, तो रेलवे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में विशेष योगदान की अधिकतम राशि भी Rs.25,000 से बढ़ाकर Rs.35,000 कर दी गई थी।हमने इस बात की जांच नहीं की है कि पेंशन योग्य कर्मचारियों के लिए हमारे द्वारा अनुशंसित अधिकतम पेंशन और उपदान में वृद्धि के परिणामस्वरूप इस योगदान में और कितनी वृद्धि की जानी चाहिए।सरकार जैसा उचित समझे वैसा ही निर्णय ले सकती है।"

(13) एक बार जब उपरोक्त संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव को प्रतिग्रहण करना करना कि वह नियोक्ता के योगदान की सीमा तक अपने द्वारा प्राप्त सी. पी. एफ. की राशि को वापस कर सकती है, किसी भी वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में में कानून की नजर में पूरी तरह से अनुचित और अस्थिर होगा।वैधानिक प्रावधान जो 753 के तहत उपलब्ध है।

(पर्मोद कोहली, जे.)

1999 के नियमों के नियम 6 (iv) में कहा गया है कि हरियाणा राज्य में किसी कर्मचारी द्वारा उसी प्रबंधन के तहत किसी भी संबद्ध कॉलेज में सहायता प्राप्त पद पर प्रदान की जाने वाली पेंशन के लिए योग्य एकमात्र सेवा ही पेंशन के लिए योग्य होगी। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित ऐसा पाठ्यक्रम 1999 के नियमों के नियम 17 और 18 के तहत उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने हरियाणा राज्य में सहायता प्राप्त पद पर काम किया है। इसलिए, नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन करने वाला घोषित करना संभव नहीं है।

(14) इस मामले का एक और पहलू है, जो किसी भी मामले में याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराएगा। मान लीजिए, याचिकाकर्ता ने पंजाब राज्य के लुधियाना में कॉलेज में एक सहायता प्राप्त पद पर 10.07.1968 से 28.07.1981 तक सेवा प्रदान की है। कैरियर उन्नति योजना के प्रयोजनों के लिए, उन्हें पिछली सेवा का लाभ दिया गया है और उन्हें वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड का भुगतान किया गया है। तदनुसार, उन्हें पहले से ही पिछली सेवा का लाभ दिया जा चुका है और उस सेवा को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन में वृद्धि की गई है। एक बार जब ऐसा हो जाता है, तो उसे एक ठोस राहत दी जाती है। उपरोक्त मुद्दा अंतिम रूप ले चुका है और इसलिए उसे पहले से दिए गए लाभ से संतुष्ट होना चाहिए। इसके अलावा, राजेश्वर अग्रवाल के मामले (ऊपर) में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले ने पहले ही इस मुद्दे का फैसला कर लिया है।

(15) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, यह रिट याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

पी. एस. बाजवा

पर्मोद कोहली , जे.

दिलशाद अली,-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य, उत्तरदाता

2009 का सी. डब्ल्यू. पी. No.13228

30 मई, 2011

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226/227 और 311-अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958-एस. 12-भारतीय दंड संहिता-S.406 और 498 ए-पंजाब सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 1970-आर. एल. 5 (ix), 8-याचिकाकर्ता को भा.दं.सं. सी. की खंड 406 और 498-ए के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया-अपील में, दोषसिद्धि बरकरार रखी गई, हालांकि याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया-याचिकाकर्ता को इसके परिणामस्वरूप सेवा से बर्खास्त कर दिया गया

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता I सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा I

gurvinder kaur